तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजस्व अपील संख्या 04/2019 (2019/00004) देवाराम बनाम भैराराम वगैरा।	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2023	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तथा 6 से 11 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 05 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3, 8/1, 8/2, 8/4, 9/1 से 9/7, 10 व 11 ने दिनांक 02.03.2021 तथा शेष पक्षकार प्रत्यर्थी संख्या 4, 6, 7 व 8/3 ने दिनांक 23.01.2023 को सहमति प्रस्तुत कर बतलाया कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बटवाड़ा आदेश क्रमांक राजस्व/बंटवाड़ा/2011/190 दिनांक 10.05.2011 जो तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया को चुनौती दी है। प्रत्यर्थी संख्या 05 मांगली द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 04 भंवरलाल के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित करने से प्रत्यर्थी संख्या 05 के सारे खातेदारी अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 04 को प्राप्त हो जाने से प्रत्यर्थी संख्या 05 प्रभावित पक्षकार नही है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण ने बतलाया कि अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश पारित करते समय त्रुटियाँ रह गई, जिनको दुरूस्त करने के लिए हम उभयपक्षकारान् सहमत है। अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश में संशोधन किया जाकर खसरा संख्या 4/2 व 4/4 के मध्य सलंग्न नक्शे में दर्शाय गये अनुसार मार्ग को विलोपित कर उक्त मार्ग को खसरा संख्या 4/5 से 4/8 की मध्य माठ तथा खसरा संख्या 4/4 के अन्तिम छोर तक रास्ता (एल आकार में) दर्ज करवाने के लिए सहमत है तथा अपीलार्थी देवाराम के हिस्से में पूर्व में खसरा संख्या 5/1 का रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा संख्या 5/6 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा आया लेकिन मौके पर वास्तविकता यह है कि खसरा संख्या 5/1 रकबा 11 बीघा है तथा खसरा संख्या 5/6 11 बीघा 18 बिस्वा है। अतः हम उभयपक्षकारान् इसमें संशोधन करवाकर खसरा संख्या 5/1 रकबा 11 बीघा तथा खसरा संख्या 5/6 को 11 बीघा 18 बिस्वा करवाने के लिए सहमत है। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने उपरोक्त सहमति के अनुसार बंटवाड़ा संशोधन करने की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली व सहमति–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान् की आपसी सहमति के अनुसार अपीलाधीन बंटवाड़े में संशोधन करना न्यायोचित समझते है। उभयपक्षकारान् की आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा आदेश क्रमांक राजस्व/बंटवाड़ा/2011/190 दिनांक 10.05.2011 में संशोधन किया जाता है तथा तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Madan Lal Nehra Date: 2023.08.04 13:52:26 IST Reason: SelfAttested	

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:26 IST
Reason: SelfAttested